रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 1, 2018/फाल्गुन 10, 1939
No. 85] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 2018/PHALGUNA 10, 1939

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2018

**सं. भा.आ.प.-201/2017-पात्रता/सामान्य/176484.**—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002" में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

1. इन विनियमों को "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, (संशोधन), 2018" कहा जाएगा।

2. "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002" में इसमें दर्शाए गए अनुसार निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन होंगे:

3. "पात्रता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत विनियम 4 में, "स्क्रीनिंग टेस्ट विनियमावली, 2002" के खंड 4(2) के पश्चात निम्नलिखित खंड 2(क) जोड़ा जाएगा:

2(क) मई, 2018 को या इसके पश्चात भारत के बाहर के किसी चिकित्सा संस्थान से प्राथमिक चिकित्सा शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों/समुद्रपारीय भारतीय नागरिकों को 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' में अनिवार्य रूप से अर्हता प्राप्त करनी होगी। 'एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' का परिणाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए पात्रता प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति, स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली, 1997 में विनिर्धारित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्रता मापदंड पूरा करते हों।

डॉ. रीना नय्यर, सचिव, प्रभारी

[विज्ञापन-III/4/असा./459/2017]

**पाद टिप्पणी :—** प्रधान विनियमावली, नामत: "स्क्रीनिंग टेस्टम विनियमावली, 2002", भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 18 फरवरी, 2002 की अधिसूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के **भाग** III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 28 जून, 2003, 25 सितंबर, 2009, 16 अप्रैल, 2010, 23 दिसंबर, 2011 और 16 जनवरी, 2016 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनसंशोधित किया गया था।

## MEDICAL COUNCIL OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2018

**No. MCI-201/2017-Eligi./Gen./176484.—** In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Screening Test Regulations, 2002" namely:-

1. These regulations may be called the "Screening Test Regulations (Amendment), 2018".
2. In the "Screening Test Regulations, 2002", the following additions/modifications/deletions substitutions shall be, as indicated therein.
3. In regulation 4 under heading "Eligibility Criteria", the following Clause 2(A) shall be added after Clause 4(2) of the Screening Test Regulation, 2002:

   2(A) Indian Citizens/Overseas Citizen of India intending to obtain primary medical qualification from any medical institution outside India, on or after May 2018, shall have to mandatorily qualify the 'National-Eligibility-cum-Entrance Test for Admission to MBBS course'. The result of the 'National-Eligibility-cum-Entrance Test for Admission to MBBS course' shall deem to be treated as the Eligibility Certificate for such persons, provided that such persons fulfils the Eligibility Criteria for admission to the MBBS course prescribed in the Regulations on Graduate Medical Education, 1997.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. I/C

[ADVT.-III/4/Exty./459/2017]

**Foot Note:—** The principal Regulations namely, "Screening Test Regulations, 2002" were published on 18th February, 2002 in Part III, Section 4 of the Gazette of India and amended vide Medical Council of India Notification dated the 28th June, 2003, 25th September, 2009, 16th April, 2010, 23rd December, 2011 and 16th January, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.03.07 10:41:30 +05'30'